प्रकाशन का प्रारूप

पीटीएस जिला सागर में ''ओपन जिम के उपकरण'' क्रय करने हेतु अल्प कालिक सूचना

पीटीएस जिला सागर म.प्र. द्वारा ''ओपन जिम उपकरण'' क्रय किया जाना है सूची दर्शित है।

क्र	उपकरण का नाम	तादात	क्र	उपकरण का नाम	तादात
1	डबल एयर वाकर फिक्स हेंड	1	2	रोवर	1
3	डिप्स,चिनअप,पुलअप	1	4	नी चेयर	2
5	सायकिल	2	6	बिग टर्निंग व्हील	1
7	डबल लेग प्रेस	1	8	डबल पुश हेंड	1
9	चेस्ट प्रेस डबल पुश अप चैलेंजर	2	10	चेस्ट प्रेस डबल प्रेस डाउन चैलेंजर	2
11	डबल एयर वाकर हेंड मूवमेंट	2	12	ट्रिपल ट्विस्टर	1
13	सिट अप बेंच	1	14	क्रास ट्रेनर	2
15	ट्रेड मिल	1			

इस हेतु दिनांक 30.1.2020 को सायं 16.00 बजे तक निविदायें बंद लिफाफे में अमंत्रित की जाती हैं उक्त निविदायें दिनांक 31.1.2020 को अथवा अगले कार्य दिवस पर सायं 16.00 बजे खोली जावेंगी। शर्तें एवं स्पेसीफिकेशन हेतु पीटीएस सागर की क्वार्टर मास्टर शाखा से संपर्क किया जा सकता है।GSTN- 23JBPO00994A1DF

CONTAT NO 07582267771 sppts_makaroniya@mppolice.gov.in

पुलिस अधीक्षक
पीटीएस जिला सागर

निविदायें प्रस्तुत करनें हेतु प्रपत्र ''क''
टेक्नीकल बिड
जिसमें सामग्री की तकनीकी स्पेसीफिकेशन देय होनें चाहिए

नोटः—दरें प्रस्तुत करनें हेतु प्रमत्र ''ख'' लिफाफे में रखा जावे एवं सील बंद कर निविदा जारीकर्ता कार्यालय के पते पर भेजा जावे जो निर्धारित दिनांक तक अथवा पूर्व में प्राप्त होना चाहिए।

निविदाओं की दरें प्रदाय करनें हेतु प्रपत्र ''ख''

000

पीटीएस सागर म.प्र. की रोटी मेंकिंग मशीन के उपरोक्त वर्णित सामग्री की पूर्ती, सुधार कार्य, सामग्री बदली कार्य, एवं अन्य आवश्यक कार्य मैं निविदा की शर्तों के अधीन करनें हेतु सहमत हूॅ जिसकी दरें निम्नानुसार प्रस्तुत की जाती हैं।

राशि :–...शब्दों में (..) उक्त दर में समस्त प्रकार के कर/सेवा शुल्क आदि सम्मलित हैं।

(हस्ताक्षर)
एजेंसी प्रोप्राईटर अथवा
अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर (मैय सील)

जिसकी शर्तें निम्नानुसार रहेंगी।
शर्तेः–

1 :– कार्य आदेश प्राप्ती दिनांक से 7 दिवस के अंदर उपकरण प्रदाय करनें होंगे।
2 :– मशीन मरम्मत की एक वर्ष की वारंटी सुधार कर्ता फर्म को देनी होगी।
3 :– यदि किसी कारण से सामग्री के हिस्से पुर्जे आदि की अनुपलब्धता होती है तो 7 दिवस का अतिरिक्त समय उक्त मरम्मत कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुमति से प्रदान किया जा सकेगा।
4 :– निविदाकर्ता को उनके द्वारा प्रदाय सामग्री की राशि की 10 प्रतिशत राशि पुलिस अधीक्षक पीटीएस जिला सागर म.प्र. के नाम से बतौर अमानत जमा करना होगी।
5 :– स्थापना के बाद यदि मशीन में खराबी परिलक्षित होती है तो फर्म को सूचना प्राप्ती के 24 घन्टे के अंदर समस्या का निराकरण करना होगा। यदि निराकरण नहीं किया जाता एवं अतिरिक्त समय की लिखित अनुमति भी नहीं ली जाती तो उक्त कृत्य सेवाओं एवं गुणवत्ता में कमी मानते हुए अमानत में रखी गई राशि से मरम्मत पर व्यय राशि को काट लिया जावेगा एवं शेष राशि भी फर्म को वापिस नहीं की जावेगी एवं संबंधित फर्म को काली सूची में डाले जानें की कार्यवाही की जावेगी।
6 :– फर्म को आदेशित सामग्री इंस्टालेशन किये जानें के पश्चात देयकों का भुगतान किया जावेगा साथ ही सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वढ़ोत्री पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर द्वारा की जा सकेगी परंतु अमानत राशि एक वर्ष पश्चात ही वापिस की जावेगी। इस हेतु फर्म से एक वर्ष का अनुबंध किया जावेगा जो कि एग्रीमेंट दिनांक से एक वर्ष तक के लिये मान्य होगा । उक्त एग्रीमेंट किसी भी समय निरस्त करनें हेतु पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर सक्षम होंगे जिसपर फर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी।
7 :– फर्म को किसी भी प्रकार से कोई भी अग्रिम राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

फर्म को फर्म द्वारा प्रदाय दरों के आधार पर देयकों का भुगतान इकाई स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरांत एवं सेवाओं की संतुष्टी एवं कार्य की गुणवत्ता के आधार पर ही किया जावेगा। जिसमें कटोत्रा करनें हेतु पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर म.प्र. पूर्ण रूप से सक्षम अधिकारी होंगे।

8 :– निविदाकर्ता द्वारा कार्य की गुणवत्ता प्रचलित मानदण्डों के अनूरूप होना चाहिये, उपरोक्त आदेशित कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार ही किया जावे /अपूर्ण अथवा डिफैक्टिव कार्य स्वीकार नही होगा। कार्य की गुणवत्ता जॉच स्थानीय समिति के द्वारा की जावेगी जो विशेषज्ञ बुलानें हेतु स्वतंत्र रहेगी। गुणवत्ता की रिपोर्ट गठित समिति के अनुशसा उपरांत ही राशि का भुगतान किया जावेगा।

9 :– सामग्री के परिवहन एवं उस पर व्यय फर्म द्वारा स्वय भुगतान किया जायेगा तथा परिवहन एवं प्रतिष्ठापन के दौरान किसी भी प्रकार की टूट फूट की समस्त जिम्मदारी फर्म की होगी।

10 :– फर्म को देयकों का भुगतान , शासनादेशानुसार टेक्स आदि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जा सकेगा। यदि टेक्स राशि सहित देयकों का भुगतान फर्म को किया जाता है तो शसनादेशानुसार निर्धारित प्रपत्र फर्म के द्वारा निविदाकर्ता के समक्ष प्रस्तु करनें हेांगे।

11 :– उपरोक्त समस्त शर्तो में किसी भी प्रकार के संशय अथवा विवाद होने की स्थिति मे पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर जिला सागर म.प्र. का निर्णय अंतिम एवं सर्व मान्य होगा।

12 :– निविदाकार के पास वैद्य पंजीयन एवं जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

13 :– उक्त निविदा प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर म.प्र. द्वारा किसी भी स्तर पर रोकनें हेतु स्वत्रंत्र रहेंगे । जिस पर किसी को कोई आपत्ती नहीं होगी।

14 :– निविदा जमा करनें की अंतिम तिथि दिनांक 30.1.2020 सायं 16.00 बजे तक होगी ।
निविदाये कय समिति के समक्ष दिनांक 31.1.2020 को समय 16.00 बजे तक अथवा अगले कार्य दिवस में खोली जावेंगी।

15 :– निविदा प्रपत्र के उपर कार्य का नाम स्पष्ट रूप से लेख करना हेागा।

16 :– एक फर्म एक ही कार्य अथवा सभी कार्यो हेतु निविदा प्रस्तुत कर सकतीं हैं।

17 :– प्राप्त निविदाओं की दरें खोलनें की दिनांक से 60 दिवस तक वैद्य मान्य होंगी।

18 :– निविदायें यथासंभव निविदाकर्ता, निविदाकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रदाय दिनांक को खोली जावेंगी। यदि निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि देय दिनांक को अनुपस्थित रहते हैं तो निविदाओं को खोलनें हेतु उप पुलिस अधीक्षक (प्रशासन) पीटीएस सागर की अध्यक्षता में गठित समिति स्वत्रंत्र रहेंगी।

19 :– सीमित निविदा संबधी प्रपत्र के दस्तावेज़ कार्यालयीन समय में पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर कार्यालय से अथवा मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाईट WWW.MPPOLICE.GOV.IN से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

20 :– निविदा प्रस्तुत करनें के पूर्व निविदाकर्ताओं को कार्यस्थल भ्रमण करनें की सलाह दी जाती है ताकि सामग्री का अवलोकन फर्म के द्वारा कर लिया जावे एवं कार्य का सही अनुमान लगाया जा सके एवं निविदा में समस्या न आवे।

Sd/- 14/1/2020
पुलिस अधीक्षक
पीटीएस जिला सागर म.प्र.